[Shri Iqbal Singh]

other States, we will see to it, if there is any instruction, that may be repeated, and this is a good cause.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

17.38 hrs.

OATHS BILL

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON): Sir, I beg to move:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to judicial oaths and for certain other purposes, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This is a Bill to consolidate and amend the law relating to judicial oaths and for certain other purposes. The Bill before the House seeks to implement the recommendations of the Law Commission in its 28th Report.

The Indian Oaths Act, 1873 is a short Act consisting of 14 sections but it is a very important Act. By this Bill that Act is sought to be repealed and in its place a new and shorter Act as recommended by the Law Commission is sought to be enacted.

The most important change sought to be effected in the existing Act, which is an Act of 1873 is to repeal sections 9 to 12 of the Act which provide for settlement of disputes on eath. It is considered to be not a very desirable arrangement that when a party comes to court with a claim and that claim is opposed by the other party there will be a provision by which the court should abdicate its function and the matter left to be decided by the oath of one party or the other b-fore a temple or church or whatever may be the sacred place which

the party may select. I have myself felt while practising in the courts, that this is an arrangement which is degrading. Now, that provision is sought to be repealed. There are 4 sections which provide for that.

There is another new provision namely that the right to make an affirmation instead of taking the oath should be available to every witness and party irrespective of the community to which he belongs. Under the existing Oaths Act this right is available to Hindus and Muhammadans, not to others. This provision by which the right to have affirmation in place of an oath being available only to certain communities is considered to be not a desirable one. Therefore we are providing that if a witness wants to make affirmation instead of taking the oath, that right should be available to him, whatever be the community to which he belongs.

Then we have provided in the Schedule to the Bill two forms of oath/affirmation, Previously the form was left to be settled by the High Court concerned. We thought it would be advisable to have a uniform law in this respect.

Apart from this, there is nothing new in the Bill.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Then why did he bring it at all?

SHRI GOVINDA MENON: I brought it for this reason that even small matters are sometimes important. The Act of 1873, as I said, is an Act of 14 sections. If three or four sections from there are repealed, we get a very short Act of 9 sections.

It is very important because the law which makes it an offence to speak an untruth in court is the Oaths Act. I am sure members know that it is not an offence to tell a lie, but it is an offence to tell a lie after having taken oath before a court of law.

SHRI S. M. BANERJEE: After becoming a Minister.

SHRI GOVINDA MENON: What I said applies even to members. Lie becomes

a perjury when it is uttered after taking an oath or making an affirmation before a court of law. That is the importance of the Oaths Act and this is the law which makes it compulsory for witnessess and parties to speak the truth, the whole truth and nothing but the truth in a court of law. That is the importance of this Bill. I move.

MR. CHAIRMAN: Motion moved 1

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to judicial oaths and for certain other purposes, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री बृज भूषण लाल (बरेली): सभापति महोदय, जिस ओय विल को सरकार ले आई है, वह, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, बड़ा सिम्पल बिल है, एक छोटा-सा बिल है। उन्होंने इसकी कुछ खूबियां बताई सबसे पहले मैं इस बिल में जो अफरमेशन अर्थात् शपय का हर आदमी के लिये प्रबन्ध किया गया है इस का स्वागत करता हूं। यह एक ऐसी बात है जिस को मैं वेलकम करता हूं। इस के अलावा इस में जो किमयां हैं उन भो भी वतलाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप इस बिल के क्लाज 1, सब-क्लाज (2) के द्वारा इस को सीमित का से एक्स्टेंड कर रहे हैं। आप कहते हैं कि:

"It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir".

मैं नहीं समझ पाता कि आप जो भी बिल बनाते हैं उसको लागू करने के लिये आप जम्मू और काश्मीर को इन्क्लूड क्यों नहीं करते। अगर आप किसी चीज को बहाँ ऐप्लाई करता चाहते हैं तो उसके लिये स्पेशल बिल ला कर करते हैं। आप बनलाइये कि जम्मू और काश्मीर को क्यों नहीं इन्क्लूड करते हैं। साथ ही इस बिल में जो आगने क्लाज 7 रक्खा है उस से इस के कई प्राविजन्स नलिफ ई हो जाते है। वह इस सरह से कि क्लाज 6 में जो प्राविजन है वह यह सरह से कि क्लाज 6 में जो प्राविजन है वह यह

है कि:

"All oaths and affirmations made under sec. 4 shall be administered according to such one of the forms given in the Schedule as may be appropriate to the circumstances of the case".

गंडूल में यह दिया हुआ है:

"I do swear in the name of God/solemuly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth."

जब एक आदमी के लिए यह बाईडिंग हो गया और उसने यह शपथ ले ली, उसके बाद क्लाज सात में जो आपने प्राविजन रखा है वह इस प्राविजन को बिलकुल खत्म कर देता है। क्लाज सात में आप कहते हैं:

"No omission to take any oath or make any affirmation, no substitution of any one for any other of them, and no irregularity whatever in the administration of any oath or affirmation or in the form in which it is administered, shall invalidate any proceeding or render inadmissible any evidence whatever, in or in respect of which such omission, substitution or irregularity took place, or shall affect the obligation of a witness to state the truth."

जब ओष ले ली कि वह सब बोलेगा, होल ट्रुंध बोलेगा एंड नियंग बट दी ट्रंथ बोलेगा उसके बाव बूद भी नो ओमिशन बाली बात जब आप रख देते हैं भीर उसको भी बाउंड रख देते हैं तो बोध की सैक्टिटी क्या रह गई। यह मैं समक सकता हूं कि प्रगर कोई दरैंग्युलेरिटी हो गई है फाम में या और किसी बीज में उस बक्त जो प्रोसीडिंग्ज होंगी उनको इनवैलिडेट न करें। लेकिन जब बाप यह कह देते हैं कि नो ओमि-शन बाफ एनीवन तो वह चीज समक में नहीं बाती है। एक बादमी ने शाय ली ही नहीं फिर

[थी बृज भूषण लाल]

भी आप कहते हैं कि प्रोसीडिंग्ज ठीक है तो ओथ के माने क्या रह जाते हैं। इस क्लाज को रख कर जितना आपने प्राविजन रखा है, उसको ही आप खत्म कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि एक ग्रादमी ने ओथ ली ही नहीं फिर भी उसका एवीडेंस उतने ही मानी रखता है जितना ओथ लेने वाले का तो इस में क्या सैस है। इस वास्ते नो ओमिशन वाली बात को आप हटा दें। नो ग्रोमिशन अगर कर दोगे तब एंटायर प्राविजन आफ दी बिल बिल बी नलिफाइड।

इसी तरीके से क्लाज 8 रिडंडेंट है। जब क्लाज 6 में आप यह कह रहे हैं कि ओथ आर एफर्मेशन बाइंडिंग हैं, और ट्रथ, होल ट्रथ, निध्य बट दी ट्रथ कहा जाएगा तो फिर क्लाज 8 की क्या जरूरत है ? क्लाज आठ में आप कह रहे हैं:

> "Every person giving evidence on any subject before any court or person hereby authorised to administer oaths and affirmations shall be bound to state the truth on such subject."

जब उसने शपथ ले ली और बाइंडिंग भी उस पर यह हो गई भीर परजरी में केस भी चल सकता है तो वैसी हालत में इसकी क्या जरूरत है। ये जो शार्टकमिंग्ज हैं, इनको मैं मंत्री महोदय के नोटिस में ला रहा हूँ।

इसमें कोई शक नहीं है कि 1873 का जो एक्ट है, उसको आपने सुधारने की कोशिश की है। लेकिन प्रापने क्लाज 9 एड कर दी है और क्लाज सात और प्राठ रख़ दी है इससे तो आपका जो मंगा है, वह बिलकुल ही खत्म हो रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि ला किमशन की रिकोमेंडेशन्ज पर उन्होंने इसको तैयार किया है

और उसको उन्होंने बहुत महत्व दिया है। मैंने भी प्रेक्टिस की है भीर मुक्ते भी कुछ तजुर्बा है। 1873 के एक्ट में स्पेशल ओथ का प्राविजन है। इस किस्म की जो ग्रोथ्स ली जाती हैं, उनके सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि फीडम आफ कांट्रैक्ट होता है। जब ौं यह कह रहा हं कि अगर गवाह गंगाजली हाथ में ले कर या कुरान शरीफ हाथ में ले कर एक बात कह जाए तो उसकी बात को मैं मानने के लिए तैयार हं, तो यह एलाउड है, लीगल है। इसमें ग्रापको क्या तकलीफ होती है। आप क्यों मजबूर करते हैं। जब मैं खुद कहता है कि अगर इस तरह की वह शपथ लेगा तो उसका जो एवीडेंस है वह कनक्लुसिव होगा, मैं उसको मान लगा तो इस पर आपको क्या आपत्ति है। स्पेशल ओयस का जो तजुर्वा है, वह यह बताया है कि उस में कोई का बहुत समय बचता है। साथ ही आप देखें कि आज स्टैंडर्ड आफ मारेलटी बहुत। गिर् गया है। किर भी आदमी से जब यह कहा जाता है कि अगर गंगा जली उठा लेया कर न शरीफ पर हाथ रख दे, तब वड रुकता है, हैजीटेट करता है और सोचता है कि इसका क्या नतीजा होगा, क्या बुरा परिणाम निकलेगा। इसलिए उस पर हैसीटेट करते हैं। तो आपने जहां इतनाक हाहै कि स्पेशल औथ को खत्म किया जाय मैं यह अर्ज करूंगा और मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस के ऊपर दोवारा सोनें। लाकमी शन ने इस के ऊपर फार और अगेंस्ट दोनों में काफी बातें लेकिन लाकमीशन कारेकमेंडेशन कही हैं। है कि यह स्पेशल ओथ प्राविजन खत्म होना चाहिए और इसी बेसिस पर आपने यह रखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों पर गौर करना चाहिए और इस रोशनी में मंत्री महोदय बिल लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

SHRIB, P. MANDAL (Madhepura): I have got two doubts with respect to this Bill. The first is in respect of sub-clause (a) appearing on page 2 "all courts and persons having by law or consent of parties authority to receive evidence :''. I want to know specifically whether police officers are also entitled to administer oath. In our country the standard of our police is unfortunately so law and it is known to everybody and therefore I should like to suggest that police officers should be debarred from administering oaths.

The Minister says that in order to avoid different types of oaths he has prescribed a uniform type of oath in the schedule. then there are two types of oath. One is an oath and the other is solemn affirmation, In the fitness of things there should have been only solemn affirmation; nobody would have any grievance against it. According to the formula here prescribed, some will take an oath and swear in the name of God and others will solemnly affirm. This is not in accordance with our secular character. Believers in God may take the oath in the name of God but there are others who do not care for God or believe In the existence of God. Our communist friends do not believe in God and will take solemn affirmation. There is no uniformity. What was the objection if only solemn affirmation was there in the schedule instead of both the oath and affirmation? I request the hon. Minister to remove these two doubts of mine.

भी चन्द्रशेखर सिंह (जहानाबाद): मान-नीय सभापति महोदय, सदन के सामने यह बिल विधि मंत्री द्वारा लाया गया है। जिस समय यह बिल 1967 में मंत्री जी ने राज्य सभा में रखा तो उन्होंने बताया कि यह बहत ही छोटा तथा निर्विवाद बिल है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इस के पारित होने के रास्ते में रुकावट ला सके। यह बिल मंत्री महोदय के <mark>श्रनुसार ला कमीशन की सिफारिशों के श्राधार</mark> पर रखा गया है। सब से पहले मैं यह जानना चाहता हं कि अगर यह बिल छोटा तथा विना

विवाद के है तो इसे जम्मू-काश्मीर के लिए क्यों लागू नहीं किया जाता है। मुभे पता नहीं कि वहां इसे लागू करने में सरकार के सामने क्या वैधानिक दिक्कतें हैं।

श्रो ओम प्रकाश त्यागी (मूरादाबाद): काश्मीर भारत का अंग नहीं है —ये ऐसा मानते हैं ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : इस बिल का उद्देश्य सिर्फ ला कमीशन की सिफारिशों को पास कर-वाना है। उदाहरण के लिए घारा 6 और 7 के स्थान पर नई धारायें जोडी गई हैं। 1873 के इंडियन ओथ एक्ट के अनुसार हिन्दू को गंगा जल से तथा मुमलमानों को कुरान लेकर किसी बात की शपथ खानी पड़तीथी। हमारादेश धर्म निरपेक्ष है, अतः ला-कमीशन की सिफा-रिश के आधार पर इस बिल में उपरोक्त प्रिकिया हटा दी गई है, यानी इस बिल के अनु-सार कोई भी नागरिक चाहे हिन्दू हो या मुसल-मान, किसी भी जातिया वंश का हो तो या तो वह ओथ ले सकता है या एफरमेशन । मैं भी इस प्रक्रिया से पूर्ण सहमत हैं। लेकिन ओथ किसे कहते हैं, इस की परिमाधा क्या है-इस का नाम मात्र का भी उल्लेख इस बिल में नहीं है। अतः इस में ओष की परिभाषा देनी चाहिए। लेकिन अगर हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो ओथ भी वेकार हो जाती है। आज कल तो हम ग्रासानी से किसी चीज के प्रलोभन में ओथ लेते देखते हैं। जो लोग ईप्रवर में विश्वास नहीं करते उन के लिए ओथ कोई महत्वपूर्णचीज नहीं है। इन छोगों के लिए एफरमेशन रखा गया है। एफरमेशन के लिए भी जब धारा 178, 179, 180 तथा 181 के अन्तर्गत यदि कोई भठ बोलता है तो उसे सजादी जा सकती है। एफरमेशन अगर व्यक्तिकी चेतनापर आधारित है तब तो ठीक है ।

[श्री चन्द्र शेखर सिंह]

क्लाज 7 में कहा गया है कि अगर औष या एफरमेशन में कोई गलती हो तो भी उस की प्रोसीडिंग गलत नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि टैक्नीकल दोष होने से इस की प्रोसीडिंग गलत नहीं होगी, लेकिन फिर जब इस प्रोसीडिंग में ओथ तथा एफरमेशन ही नहीं रहेगी तो इस प्रोसीडिंग का महत्व कोर्ट के सामने भी नहीं रह सकता है। इसलिए मैं बाहता हूँ कि ओथ की जगह पर एफरमेशन व्यक्ति की चतना के प्राधार पर होना चाहिए और जितनी बातें इस में रखी गई हैं, वे सब ठीक हैं।

श्री रणधीर सिंह (गेहतक): चेयरमैन महोदय, ओथ और एफरमेशन का जो बिल लाया गया है—इस की बहुत जरूरत थी ग्रीर जो लैकूना हमारे प्रोसीजर कोड और एांवडेन्स एक्ट में था, वह इस के आने से दूर हो जायगा क्योंकि हमारे देश में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो बाई-गौड या जर्म के नाम पर ओय नहीं लेना चाहते, अब बाई-एफरमेशन वह चीज कह दैंगे तो ठीक समका जायगा।

आप अदालतों से वाकिफ़ हैं, पहले भी हमारे यहां ऐसी चीजें चलती चीं—हमारे हरि-याणा में उर्दू में बोलते हैं—जो कुछ कहूंगा घर्म से सच कहूँगा। लेकिन उसके बाबजूद भी बहुत से भूठ बोलते हैं, वे आगे भी भूठ बोलेंगे लेकिन इस को घोड़ी सी सैंक्टिटी देने के लिए ही एफरमेशन रखी गई है।

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 28, 1969/Agrahayana 7, 1891 (Saka).